परिशिष्ट – 'घ'

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफटी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियम - 1980

1. शीर्षक — इन नियमों को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियम, 1980 कहा जाएगा।

2. शुरुआत — ये नियम 16 सितम्बर 1972 से प्रभावी रूप से लागू माने जायेंगे।

3. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "संस्थान" का अर्थ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के तहत पंजीकृत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है।

(ख) "सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष" से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संस्थान में शामिल होने की तारीख से की गई 12 महीने की सेवा की अवधि से है।

(ग) "कर्मचारी" का अर्थ संस्थान का पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी है जिसका नाम संस्थान के वेतन नामावली पर दिखाई देता हों।

(घ) "परिवार" में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी
ii. महिला कर्मचारी के मामले में पति
iii. बेटे
iv. अविवाहित और विधवा बेटियाँ, जिनमें सौतेले बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हैं
v. 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित और विधवा बहनें, जिनमें सौतेले भाई और सौतेली बहनें भी शामिल हैं
vi. पिताजी
vii. माता जी
viii. विवाहित बेटियाँ और
ix. पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे

(ङ) "निधि" से तात्पर्य यहां निर्धारित ग्रेच्युटी फंड (कोष) से है।

(च) "स्थायी पूर्ण विकलांगता" का अर्थ किसी भी बीमारी/चोट से उत्पन्न विकलांगता है, जो महानिदेशक की राय में संबंधित कर्मचारी को संस्थान में सेवा प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ बनाती हो। बशर्ते, महानिदेशक की अनुपस्थिति के मामले में ऐसे अधिकार का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(छ) "योग्य सेवा" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिसमें संस्थान में उसकी नियुक्ति या समामेलन की तारीख से परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि भी शामिल है, लेकिन बिना वेतन के असाधारण छुट्टी को इस उद्देश्य

के लिए नहीं गिना जाएगा।

(ज) "परिलब्धियाँ" से तात्पर्य है; वेतन, स्थानापन्न वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई वेतन या विशेष रूप से घोषित कोई अन्य राशि, जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति / या इस्तीफे या उसकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(झ) ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए इस प्रकार गणना की गई परिलब्धियाँ अधिकतम रु. 4000/- प्रति माह के अधीन होंगी।

(ञ) (शासी निकाय का निर्णय दिनांक 24-10-84)

(ट) "शासी निकाय" का अर्थ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का शासी निकाय है।

इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, लेकिन संस्थान के नियमों और विनियमों या सेवा उपनियमों में परिभाषित अर्थ क्रमशः वही होगा जो उन्हें उक्त नियमों और विनियमों या सेवा उपनियमों में दिया गया है।

4. नियमों की प्रयोज्यता

ये नियम सभी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे और निम्नलिखित को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं रखेंगे:

i) जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आते हैं

ii) आकस्मिक और गैर-नियमित कर्मचारी

iii) प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी

iv) अनुबंध पर कर्मचारी

v) प्रशिक्षु और प्रशिक्षणार्थी

vi) पुनः नियोजित व्यक्ति

5. पात्रता

पात्र व्यक्ति को नियमों के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी:

(क) छँटनी या पद की समाप्ति या स्थापना की कमी पर

(ख) शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण स्थायी विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति पर

(ग) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

(घ) त्यागपत्र

6. योग्यता अवधि

मृत्यु की स्थिति को छोड़कर, ग्रेच्युटी केवल 5 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए ही स्वीकार्य होगी।

7. स्वीकार्य ग्रेच्युटी की राशि

ग्रेच्युटी नीचे वर्णित अनुसार देय होगी:

(क) सेवा के प्रत्येक पूर्ण ½ वर्ष की अवधि के लिए ¼ महीने की परिलब्धियां, अधिकतम 50000/- रुपये की परिलब्धियों का 16-1/2 गुना, जो भी कम हो।

(शासी निकाय का निर्णय दिनांक 24-10-85)

(ख) मृत्यु के मामले में, ग्रेच्युटी की राशि उपरोक्त बिन्दु (क) के तहत गणना की जाएगी या नीचे बताए अनुसार गणना

की जाएगी, जो भी अधिक हो:-

i) सेवा के पहले वर्ष के दौरान - 2 महीने की परिलब्धियाँ

ii) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष की सेवा से पहले - 6 महीने की परिलब्धियाँ

iii) 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद - 12 महीने की परिलब्धियाँ

(ग) संस्थान द्वारा मंजूरी मिलने पर ग्रेच्युटी केवल भारत में ही देय होगी।

8. ग्रेच्युटी से वसूली — कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करते समय उससे वसूली योग्य सभी बकाया राशि पूरी तरह से वसूल की जा सकती है।

9. सक्षम प्राधिकारी — ग्रेच्युटी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वयं महानिदेशक होंगे केवल उनके स्वयं के मामले को छोड़कर जहां महानिदेशक के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष महोदय होंगे।

10. निधि की संरचना — निधि निम्नलिखित से बनी होगी:

1. संस्थान के शासी निकाय के निर्णय के अनुसार योग्य बीमांकिक द्वारा प्रमाणित संस्थान द्वारा, वार्षिक योगदान।
2. निधियों के निवेश पर अर्जित, अर्जित और/या प्राप्त ब्याज।
3. संस्थान या किसी अन्य निकाय/सरकार द्वारा किया गया कोई विशेष योगदान।

11. नामांकन/नामांकन में परिवर्तन — सेवा में शामिल होने पर प्रत्येक कर्मचारी को एक निर्धारित प्रपत्र में अपने परिवार के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उसकी मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार नामित करते हुए नामांकन करना होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को देय हिस्सा दर्शाया जाएगा। यदि कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो नामांकन व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय कॉर्पोरेट या गैर-कॉर्पोरेट के पक्ष में किया जा सकता है। किसी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्दीकरण का प्रत्येक नोटिस वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी, जो लेखा का प्रभारी हो, के पास दाखिल किया जाएगा। वह नामांकन की प्राप्ति की तारीख दर्शाते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेगा। नामांकन प्राप्त होने पर प्रत्येक कर्मचारी को एक पावती भेजी जाएगी।

कोई नामांकन न होने की स्थिति में, मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है:

(क) यदि खंड 3 (घ) के तहत (i) से (iv) के अनुसार परिवार में एक या अधिक जीवित सदस्य हैं, तो इसका भुगतान ऐसे किसी भी सदस्य के अलावा, जो विधवा बेटी है, को समान शेयरों में किया जा सकता है।

(ख) यदि परिवार में कोई जीवित सदस्य नहीं है, लेकिन खंड 3 (घ) के तहत (v) से (ix) के अनुसार परिवार में एक या अधिक जीवित

		विधवा बेटियाँ और / या एक या अधिक जीवित सदस्य हैं, तो ऐसे सभी सदस्यों को समान शेयरों में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है। (ग) यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद बिना कोई राशि या ग्रेच्युटी प्राप्त किए मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है या उसके द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है या उसके द्वारा किया गया नामांकन कायम नहीं है, तो उसे देय डीसीआरजी की राशि संस्थान को समाप्त हो जाएगी।
12.	सदस्य अपनी पात्रता आवंटित करने या हस्तांतरित करने के हकदार नहीं हैं	कोई भी कर्मचारी सिक्युरिटी राशि के रूप में निधि में शामिल अपनी ब्याज रकम को किसी और को हस्तांतरित करने या सौंपने के लिए पात्र नहीं होगा । और ऐसा कोई हस्तांतरण या राशि किसी और को सौंपने का निर्णय वैध नहीं होगा तथा शासी निकाय उन्हें या उनमें से किसी को भी किसी भी हस्तांतरण या निश्चित राशि सौंपने को मान्यता नहीं देगा या इससे संबंधित कोई भी नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
13.	नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन	शासी निकाय समय-समय पर इन बनाए गए नियमों में बदलाव कर सकता है और इस निधि से संबंधित इन सभी या किसी भी नियम को बाहर करने या उनके अतिरिक्त कुछ नया नियम लाने या प्रतिस्थापन के लिए नए नियम बना सकता है और इस प्रकार बनाए गए नियमों को शासी निकाय द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफटी ग्रेच्युटी फंड निर्माण नियम - 1980

1. <u>शीर्षक</u> — इन नियमों को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरन ट्रेड क्रिएशन ऑफ़ ग्रेच्युटी फंड रुल्स - 1980 कहा जाएगा।

2. <u>शुरुआत</u> — ये नियम दिनांक 15 नवंबर, 1980 से लागू होंगे।

3. <u>परिभाषाएं</u> — (i) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

   (क) "संस्थान" का अर्थ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के तहत पंजीकृत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है।

   (ख) "शासी निकाय" का अर्थ है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान एक शासी निकाय के रूप में।

   (ग) "बोर्ड" से तात्पर्य नियमों के तहत गठित न्यासी बोर्ड से है।

   (घ) "महानिदेशक" से तात्पर्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक से है।

   (ङ) "अध्यक्ष" का अर्थ इन नियमों के तहत गठित बोर्ड का अध्यक्ष है ।

   (च) "सचिव" का अर्थ ट्रस्टी बोर्ड का सचिव है।

   (छ) "वर्ष" से तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष से है।

   (ज) "सदस्य" का अर्थ निधि का सदस्य है।

   (झ) "ट्रस्टी" का अर्थ ट्रस्टी के बोर्ड का सदस्य है।

   (ii) इनमें प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्द और भाव नियमों और उप-नियमों और विनियमों में परिभाषित संस्थान का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उक्त नियमों में इसे सौंपा गया है।

4. प्रयोज्यता — ये नियम उन धनराशियों के संबंध में लागू होंगे जिन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 और आईआईएफटी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियम 1980 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए एक अलग निधि में रखा जा सकता है।

5. निधि की रचना — यह निधि निम्नलिखित मदों से मिलकर बनी होगी:

   (1) संस्थान द्वारा वार्षिक अंशदान, जिसे संस्थान के शासी निकाय के निर्णय के अनुसार किसी योग्य बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

   (2) निधि के निवेशों पर अर्जित, प्राप्त और/या अर्जित ब्याज।

   (3) संस्थान या किसी अन्य निकाय/सरकार द्वारा किया गया कोई विशेष अंशदान।

6. संविधान और निधि का प्रबंधन — (1) इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निधि का प्रशासन न्यासी मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टी) द्वारा किया जाएगा, जिसे इसके बाद केवल मंडल (बोर्ड) कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) महानिदेशक, जो न्यासी मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ख) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत शासी निकाय का एक सदस्य।

(ग) महानिदेशक द्वारा मनोनीत निधि के सदस्यों में से एक वरिष्ठ अधिकारी और एक कर्मचारी।

(घ) संस्थान के सचिव, जो सदस्य सचिव होंगे।

(2) सदस्य सचिव, ग्रेच्युटी फंड के प्रशासन से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में, उसके कार्यों का निर्वहन न्यासियों (ट्रस्टियों) में से किसी एक या बोर्ड द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा या न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से किया जा सकता है।

(4) सदस्य सचिव, न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी न्यासी के साथ संयुक्त रूप से, न्यासी बोर्ड की ओर से, फंड से संबंधित सरकारी वचन पत्र, प्रतिभूतियां, ब्याज वारंट आदि का निर्वहन, प्राप्ति या निपटान करेगा, जैसा आवश्यक हो।

(5) न्यासियों (ट्रस्टियों) का कार्यकाल बोर्ड में उनके नामांकन की तिथि से एक वर्ष का होगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी न्यासी उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद उत्तराधिकारी के नामांकन तक पद पर बना रहेगा।

(6) त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु के कारण उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित कोई भी न्यासी उस न्यासी के शेष कार्यकाल के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

(7) पद छोड़ने वाला न्यासी पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।

(8) कोई न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और उसका पद उस तिथि से रिक्त हो जाएगा जिस तिथि से बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है।

(9) <u>न्यास का समापन एवं बहाली:</u>

यदि कोई न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका न्यासी पद समाप्त हो जाएगा; बशर्ते कि यदि बोर्ड का अध्यक्ष संतुष्ट हो कि अनुपस्थिति के लिए उचित कारण थे, तो वह उसे न्यास में बहाल कर सकता है।

(10) <u>न्यासी पद के लिए अयोग्यताएँ:</u>

यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में हो, तो वह न्यासी के रूप में मनोनीत होने या न्यासी बनने के लिए अयोग्य होगा:

i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से

अस्वस्थ घोषित किया गया हो; या

ii) यदि वह दिवालिया घोषित हो चुका हो; या

iii) यदि इन नियमों के लागू होने से पहले या बाद में उसे नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;

iv) यदि उसे निलंबित कर दिया गया हो या वह संस्थान का कर्मचारी न हो या विदेशी सेवा में चला गया हो; या

v) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसे बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(11) <u>बोर्ड की बैठकें:</u>

न्यासी बोर्ड की बैठकें ऐसे स्थानों और समय पर होंगी जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उनकी अनुपस्थिति में किसी ट्रस्टी के अनुरोध पर सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।

न्यासी बोर्ड की किसी भी बैठक में अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करेगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा और मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत का अतिरिक्त अधिकार होगा।

(12) <u>कोरम</u>:

बोर्ड के दो सदस्य कोरम बनाएंगे, जिनमें से इन नियमों के नियम 6(i)(ग) के तहत निर्दिष्ट एक न्यासी उपस्थित होना चाहिए:

यदि किसी बैठक में न्यासियों की संख्या आवश्यक कोरम से कम हो, तो बोर्ड का अध्यक्ष बैठक को मूल बैठक की तिथि से सात दिन बाद की तिथि तक स्थगित कर देगा और न्यासियों को स्थगित बैठक की तिथि, समय और स्थान की सूचना देगा। इसके बाद, न्यासियों की उपस्थिति की परवाह किए बिना, स्थगित तिथि की बैठक में कार्यवाही करना वैध होगा।

(13) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी लागतें, शुल्क और व्यय, जिनमें न्यासियों का पारिश्रमिक और अन्य सभी संबंधित शुल्क शामिल हैं, संस्थान द्वारा वहन किए जाएंगे।

(14) <u>निवेश</u>:

न्यासी बोर्ड को निधि के निवेशों को अपनी इच्छानुसार और भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने या उनमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी निवेश निधि के नाम पर होंगे।

(15) <u>बैंक खातों का संचालन</u>:

(क) निवेश के लिए लंबित निधि की सभी धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी और सदस्य सचिव और न्यासी बोर्ड के किसी एक सदस्य द्वारा, या बोर्ड की ओर से न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित चेक के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं निकाली जाएगी।

(ख) निधि की सभी धनराशि का उपयोग केवल ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 या आईआईएफटी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियम 1980 के प्रावधानों से उत्पन्न देनदारियों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(16) <u>लेखा</u>:

(क) न्यासी निधि का पूरा लेखा-जोखा रखेंगे, जिसमें निधि के सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण और प्रारूप न्यासी द्वारा उचित तथा कानून द्वारा अपेक्षित रूप से रखा होगा।

(ख) न्यासी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जिन्हें निधि से संबंधित सभी पुस्तकों, कागजातों, वाउचरों, खातों और दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी और जो न्यासी बोर्ड को वार्षिक बैलेंस शीट और प्राप्तियों एवं भुगतानों के खातों पर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति संस्थान को दी जाएगी।

(17) <u>भुगतान</u>:

(क) जब ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 या आईआईएफटी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियम 1980 के तहत ग्रेच्युटी देय हो जाए,तो सदस्य सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं संतुष्ट होने के बाद उक्त नियमों के अनुसार भुगतान करे।

(ख) यदि वह व्यक्ति जिसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, एक पागल है जिसकी संपत्ति के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के तहत एक प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो भुगतान ऐसे

प्रबंधक को किया जाएगा, न कि पागल व्यक्ति को।

(ग) इन नियमों के तहत भुगतान का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस संबंध में सदस्य सचिव को एक लिखित आवेदन भेजेगा। राशि का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिस व्यक्ति को राशि देय है, उसे भारत में भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7. <u>नियमों में परिवर्तन और संशोधन</u>

शासी निकाय समय-समय पर इन नियमों में परिवर्तन कर सकता है और इस निधि से संबंधित इन नियमों में से किसी को भी निरस्त करते हुए, अतिरिक्त रूप से या प्रतिस्थापित करते हुए नए नियम बना सकता है, और इस प्रकार बनाए गए नियमों को शासी निकाय द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है।